COURT FEE भारत INDIA Rs.10 दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE भारत INDIA Rs.20 बीस रुपये TWENTY RUPEES

विलोपित

46

न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर {म0प्र0}

प्र0क्र0- - --/2018

I/निगरानी/विदिशा/भूरा०/2018/01214

बी. के. शुक्ला
श्री .... द्वारा आज दि० 19/2/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 22/2/18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

1- बबुआ आयु 60 वर्ष पुत्र पुन्ना जाति हरिजन निवासी ग्राम करईकला तहसील त्योंदा जिला विदिशा {म0प्र0} - - - - - - अपीलांट/निगरानीकर्ता

बनाम

1- प्रेमसिंह आयु 35 वर्ष

2- मेहताबसिंह आयु 30 वर्ष पुत्रगण भुजबल निवासी ग्राम काकरौन तहसील कुरवाई जिला विदिशा

3- द्रौपदीबाई आयु 32 वर्ष पुत्री भुजबल पत्नी अमरसिंह निवासी ग्राम काकरौन तहसील कुरवाई जिला विदिशा {म0प्र0} - अनावेदक गण

आवेदन निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0राजस्व संहिता

व नाराजगी 92/अपील/2016-17 प्रेमसिंह आदि बनाम बबुआ ग्राम करईकला तहसील त्योंदा आदेश दिनांक 25· 2018 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंजबासौदा जिला विदिशा

माननीय महोदय,

1:- यह कि निगरानीकर्ता बबुआ ग्राम करईकला तहसीलत्योंदा का निवासी है आराजी सर्वे नं. 156, 193, 194, कुल किता 3 कुल रकबा 1.203 हे0 लगानी 6/-रुपये ... पैसे का ग्राम करईकला की उपरोक्त आराजी का भूमिस्वामी मालिक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा हूँ।

2:- यह कि बबुआ एवं जबरा दो भाई थे। जबरा की कोई शादी नहीं हुई थी न ही जबरा की कोई संतान हुई। जबरा का स्वर्गवास लगभग 30-35 वर्ष पूर्व हो गया

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/1214 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20/02/2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री बी.के. शुक्ला उपस्थित। उन्हें ग्राह्यता के बिन्दु पर सुना गया। प्रकरण का अवलोकन किया एवं आलोच्य आदेश का परिशीलन किया। आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनुविभगीय अधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत धारा-32 के आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार किया है कि अनावेदकों द्वारा संदिग्ध बताए जा रहे दस्तावेजों की फोटोकॉपी व सरपंच के प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे, उस समय आवेदक द्वारा इन दस्तावेजों पर कोई आपत्ति नहीं की गई। उनके द्वारा मृत्यु प्रमाण-पत्र और निर्वाचन परिचय पत्र को पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के कारण संदेहास्पद नहीं माना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि आवेदक ने मृतक जबरा के बजाय स्वयं का नामांतरण कराने हेतु कोई प्लीडिंगस नहीं की है। उक्त आधार पर अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदक का आवेदन निरस्त किया है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है। प्रकरण का निराकरण अधीनस्थ न्यायालय में होना है, जहां आवेदक को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है। दर्शित परिस्थिति में यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। **प्रशासकीय सदस्य**	